न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या –59 / 2017

प्रार्थी

आईदानराम पुत्र रामाराम जाति गुर्जर निवासी रोलचांदावता तहसील मेडता जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हीरालाल मीणा, सहायक कलक्टर, मेडता
2. झुमरराम पुत्र जोगाराम जाति गुर्जर
3. प्रकाशराम पुत्र जोगाराम जाति गुर्जर
4. मोहनराम पुत्र सुगनाराम जाति गुर्जर
5. केशाराम पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर
6. भालाराम पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर
7. बीरबल पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर
8. प्रकाश पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर
9. गुमानराम पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर
   अप्रार्थी सं. 8 व 9 नाबालिग जरिए वलीया माता पारकी पत्नि स्व. रूपाराम गुर्जर
10. पारकी पत्नि रूपाराम जाति गुर्जर
11. अनोपराम पुत्र उदाराम जाति गुर्जर
12. मदनराम पुत्र उदाराम जाति गुर्जर
13. रामनिवास पुत्र उदाराम जाति गुर्जर
14. कल्याणराम पुत्र उदाराम जाति गुर्जर
15. धन्नाराम पुत्र गुणाराम जाति गुर्जर
16. घेवरराम पुत्र भींयाराम जाति गुर्जर
17. सायरी पत्नि भगवानाराम जाति गुर्जर
18. सलाराम पुत्र हजारीराम जाति गुर्जर
19. श्रवणराम पुत्र हजारीराम जाति गुर्जर
20. कंवरीदेवी पुत्री हीराराम जाति गुर्जर
21. बाबूदेवी पुत्री हीराराम जाति गुर्जर
22. जेमादेवी पुत्री हीराराम जाति गुर्जर
23. अर्जुनराम पुत्र थानाराम जाति गुर्जर
24. बाबूराम पुत्र थानाराम जाति गुर्जर
25. मोतीराम पुत्र थानाराम जाति गुर्जर
26. सोमाणी पुत्री थानाराम जाति गुर्जर
    अप्रार्थी सं. 25 नाबालिग वलीया माता शांती पत्नि थानाराम जाति गुर्जर
27. सुखाराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर
28. चौथी पत्नि गंगाराम जाति गुर्जर
29. रतनाराम पुत्र बुधाराम जाति गुर्जर
30. सुरेशदेवी पुत्री बुधाराम जाति गुर्जर
31. जानादेवी पुत्री बुधाराम जाति गुर्जर
32. मंजू पुत्री बुधाराम जाति गुर्जर
33. धापूदेवी पुत्री बुधाराम जाति गुर्जर
34. गुड्डी पुत्री बुधाराम जाति गुर्जर
35. बिन्दूदेवी पत्नि बुधाराम जाति गुर्जर
36. अन्तरकंवर पत्नि जेठूसिंह जाति राजपूत
37. पन्नालाल पुत्र रामदीन जाति गुर्जर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

38. किशनाराम पुत्र रामदीन जाति गुर्जर
39. प्रतापराम पुत्र भागूराम जाति गुर्जर
    निवासीगण रोल चांदावता तहसील मेडता जिला नागौर
40. पाबूराम पुत्र रामूराम जाति जाट (फौत) के कायम मुकामान–
    40/1 मांगूराम पुत्र पाबूराम
    40/2 चैनाराम पुत्र पाबूराम
    40/3 भंवरी पुत्री पाबूराम
    जाति जाट निवासीगण पादूखुर्द तहसील रियांबडी जिला नागौर
41. भंवरलाल पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर
42. धर्माराम पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर
43. तेजाराम पुत्र आईदानराम जाति गुर्जर
44. सुरजाराम पुत्र रामाराम जाति गुर्जर
    निवासीगण रोलचांदावता तहसील मेडता जिला नागौर
45. तुलछाराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर (फौत) के कायम मुकामान–
    45/1 रामदीन पुत्र तुलछाराम जाति गुर्जर निवासी रोलचांदावता
    45/2 सीता पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी रियाश्यामदास
    45/3 सोहनी पत्नि दल्लाराम जाति गुर्जर निवासी रोल चांदावता
46. सरकार जरिये तहसीलदार, मेडता

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 46 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां, अप्रार्थी सख्या–3 की ओर से वकील श्री श्रीकान्त व्यास एंव अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 17, 19 से 35, 37, 38, 40, 41 व 43 की ओर से वकील श्री धर्माराम खुडखुडिया।

आदेश **दिनांक –** 8/3/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत सहायक कलक्टर मेडता के न्यायालय में लम्बित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 162/2017 अर्न्तगत धारा भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 एंव भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 45 तुलछाराम एंव अप्रार्थी संख्या 40 पाबुराम के फौत हो जाने से उनके कायम मुकामान को आदेशिका दिनांक 04.12.2017 एंव 15.02.2018 के अनुसार रेकर्ड पर लिये गये। अप्रार्थी संख्या 18, 36, 39, 42, 44 एवं 45 के कायम मुकामान रामदीन, सीता, सोहनी बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 46 ने विरूद्ध प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण संख्या 2 से 45 के अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मेडता के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 एंव भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत पेश किया हुआ है। जिसकी तारीख पेशी 26.09.17 है।

वर्तमान में सहायक कलक्टर, मेडता के पद पर श्री हीरालाल मीणा अप्रार्थी संख्या 1 पदस्थापित है। जो कि अप्रार्थी संख्या 46 के नाजायज प्रभाव में है तथा कुछ प्राईवेट पक्षकार भी उन पर राजनीतिक दबाव बनाये हुवे है। जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। इस कारण प्रार्थी को सहायक कलक्टर, मेडता से किसी प्रकार की न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी पिछली तारीख पेशी दिनांक 22.09.2017 को कुछ अप्रार्थीगण जो प्रार्थी व उनके सह खातेदारों के खेत में सें जबरन रास्ता कायम करवाना चाहते है पेशी पर आये हुवे थे। उन्होने व तहसीलदार ने सहायक कलक्टर के चैम्बर में जाकर कुछ वार्ता की जब तहसीलदार चैम्बर से बाहर आये तब उन्होने कहा कि 5–10 दिन में इस प्रकरण का फैसला करवा देंगे। जबकि प्रकरण में अभी कई पक्षकारों की तामिल भी नहीं हुई है तथा जवाब भी आना बाकी है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 मात्र 4–4 दिन की पेशीयां दे रहे है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार व कुछ अन्य पक्षकारों के दबाव में है और येन केन तरीके से प्रार्थी के खातेदारों के खेत में सें जबरन रास्ता कायम करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को यह विश्वास हो गया है कि उक्त प्रकरण में सहायक कलक्टर मेडता से प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है इस कारण प्रार्थी को उक्त राजस्व वाद व आवेदन को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी निष्पक्ष निर्णय चाहता है। प्रार्थी का आशय प्रकरण को लम्बा करने का कतई नहीं है किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह आवेदन प्रस्तुत करने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सहायक कलक्टर मेडता के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 162/17 की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अनुच्छेद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य सही है। विधिनुसार सैंकडों वर्षो से चले आ रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन प्रार्थी ने उक्त तथ्य छुपाये है। विवादित रास्ता सार्वजनिक जी. एल.आर. स्कूल, मन्दिर, श्मशान जाने व आवागमन के काम का होने से रास्ता प्रस्तावित किया है। अनुच्छेद संख्या 2 में सहायक कलक्टर मेडता के पद पर श्री हीरालाल मीणा पद स्थापित होना सही है लेकिन यह गलत है कि वर्तमान सहायक कलक्टर किसी के प्रभाव में हो या अप्रार्थी संख्या 46 रा.रा. है लेकिन उपखण्ड अधिकारी व राजस्थान सरकार के प्रभाव में होने का कथन गलत है। उपखण्ड अधिकारी कानून का आदर करने वाले व्यक्ति है। यह गलत है कि उपखण्ड अधिकारी अन्य पक्षकारों के दबाव में हो। यह भी गलत है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 162/17 में मनमर्जी से गलत कार्यवाही की जा रही है यह भी गलत है कि प्रार्थी को सहायक कलक्टर मेडता से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो बल्कि प्रार्थी आवेदन में विलम्ब करना चाहता है इसलिए केवल आवेदन के निर्णय में अडचन, देरी एंव रूकावट करने हेतु आवेदन पेश किया है।

अनुच्छेद संख्या 3 आवेदन पत्र तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि कुछ अप्रार्थीगण प्रार्थी के सहखातेदारी में जबरन रास्ता कायम करना चाहते हो। यह गलत है कि अप्रार्थीगण तहसीलदार मेडता, सहायक कलक्टर के चेम्बर में आकर कोई गलत बात की हो जबकि प्रत्येक नागरिक को राजकीय अधिकारी के पास अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है और उनके पास चेम्बर में जाने का भी अधिकार रखते है। मगर अप्रार्थीगण ने कोई अनुचित लाभ लालच नहीं दिया है न ही कोई गलत फैसला करवाने की घोषणा की है। सहायक कलक्टर मेडता अप्रार्थीगण उतरदाता के प्रभाव में होना गलत

सहायक कलक्टर, नागौर

दर्ज किया है। यह भी गलत है कि अप्रार्थीगण एस.डी.एम. मेडता से गलत फैसला करवाना चाहते हो बल्कि प्रार्थी आवेदन में विलम्ब करने के लिए मिथ्या तथ्यों के आधार पर अनावश्यक मुन्तकिल आवेदन पेश कर आवेदन में निर्णय में विलम्ब करने का प्रयास किया जा रहा है उक्त प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर मेडता से अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करना कतेई आवश्यक नहीं होने का कथन करते हुए मुन्तकिल आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी ने बिना किसी ठोस आधार के अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व तहसीलदार पर मनगढ़त मिथ्या आरोप लगाये गये है एवं आरापों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। बल्कि अधिनस्थ पीठासीन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्ष रूप से सभी पक्षकारों से समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थी संख्या 46 के प्रभाव में होने तथा कुछ प्राईवेट पक्षकार द्वारा पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव होने के संबंध में तथा तहसीलदार पर भी लगाये गये आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। बल्कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उक्त आरोपों को अस्वीकार करते हुए प्रकरण रास्ते का होने से राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ऐसे प्रकरणों को निस्तारण करने के निर्देश होने से प्रकरण में नजदीक पेशीयां दी जाकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय करने हेतु विधिनुसार कार्यवाही की जाने का उल्लेख अपनी टिप्पणी में किया है।

इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा बहस में किये गये कथनों, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात से उक्त प्रार्थना पत्र को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के संबंध में कोई ठोस आधार प्रकट नहीं हुऐ है। बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र कोई ठोस आधारो पर आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर